



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2012/पौष 10, 1934

No. 675]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2012/PAUSA 10, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

( विदेशी मुद्रा विभाग )

( केन्द्रीय कार्यालय )

अधिसूचना

मुंबई, 25 सितम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)  
(पांचवाँ संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 945(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवाँ संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेंगे।
- ये विनियम 15 सितम्बर 2011 से लागू होंगे।@

### 2. विनियमों में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, विनियम 10 में, उप-विनियम (ए) में, खंड (ए) में, उप-खंड (ई) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"ई. दाता द्वारा अंतरित की जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य, वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा उपहार के रूप में भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को अंतरित किसी प्रतिभूति सहित 50,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य रुपयों से अधिक नहीं होता है।"

[सं. फेमा 236/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाठ टिप्पणी : 1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 406(अ) के जरिये प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी :

- 02.03.2001 के जी.एस.आर.सं.158(ई),
- 13.03.2001 के जी.एस.आर.सं.175(ई),
- 14.03.2001 के जी.एस.आर.सं.182(ई),
- 02.01.2002 के जी.एस.आर.सं.4(ई),
- 19.08.2002 के जी.एस.आर.सं.574(ई),
- 18.03.2003 के जी.एस.आर.सं.223(ई),
- 18.03.2003 के जी.एस.आर. सं. 225(ई)
- 22.07.2003 के जी.एस.आर.सं.558(ई),
- 23.10.2003 के जी.एस.आर.सं.835(ई),
- 22.11.2003 के जी.एस.आर.सं.899(ई),
- 07.01.2004 के जी.एस.आर.सं.12(ई),
- 23.04.2004 के जी.एस.आर.सं.278(ई),
- 16.07.2004 के जी.एस.आर.सं.454(ई),
- 21.09.2004 के जी.एस.आर.सं.625(ई),
- 08.12.2004 के जी.एस.आर.सं.799(ई),
- 01.04.2005 के जी.एस.आर.सं.201(ई),
- 01.04.2005 के जी.एस.आर.सं.202(ई),
- 25.07.2005 के जी.एस.आर.सं.504(ई),
- 25.07.2005 के जी.एस.आर.सं.505(ई),
- 29.07.2005 के जी.एस.आर.सं.513(ई),
- 22.12.2005 के जी.एस.आर.सं.738(ई),
- 19.01.2006 के जी.एस.आर.सं.29(ई),
- 11.07.2006 के जी.एस.आर.सं.413(ई),
- 14.11.2007 के जी.एस.आर.सं.712(ई),
- 14.11.2007 के जी.एस.आर.सं.713(ई),
- 29.11.2007 के जी.एस.आर.सं.737(ई),

05.08.2008 के जी.एस.आर.सं.575(ई),  
30.12.2008 के जी.एस.आर.सं.896(ई),  
01.12.2009 के जी.एस.आर.सं.851(ई),  
21.04.2010 के जी.एस.आर.सं.341(ई),  
10.11.2012 के जी.एस.आर. सं. 821(ई)  
03.08.2012 के जी.एस.आर. सं. 606(ई)  
30.10.2012 के जी.एस.आर. सं. 796(ई)  
30.10.2012 के जी.एस.आर. सं. 797(ई)

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
**(CENTRAL OFFICE)**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th September, 2012

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2012**

**G.S.R. 945(E).** —In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000), namely :—

**1. Short Title and Commencement**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2012.

(ii) They shall be deemed to have come into effect from the 15<sup>th</sup> day of September 2011@.

**2. Amendment to the Regulations**

In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, in Regulation 10, in sub-Regulation A, in clause (a), for sub-clause (e), the following shall be substituted, namely :

" e. The value of security to be transferred by the donor together with any security transferred to any person residing outside India as gift during the financial year does not exceed the rupee equivalent of US \$ 50,000."

[No. FEMA 236/2012-RB]

RUDRANARAYAN KAR, Chief General Manager

**Foot Note : 1. @** It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001  
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001  
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001  
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002  
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002  
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003  
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003  
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003  
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003  
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003  
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004  
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004  
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004  
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004  
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004  
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005  
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005  
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005  
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005  
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005  
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005  
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006  
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006  
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007  
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007  
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007  
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008  
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008  
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009  
G.S.R.No. 341(E) dated 21.04.2010  
G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012  
G.S.R. No. 606 (E) dated 03.08.2012  
G.S.R. No. 796 (E) dated 30.10.2012  
G.S.R. No. 797 (E) dated 30.10.2012

## अधिसूचना

मुंबई, 22 अक्टूबर, 2012

**विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) ( सातवाँ संशोधन ) विनियमावली, 2012**

सा.का.नि. 946(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) ( सातवाँ संशोधन ) विनियमावली, 2012 कहलायेगी।
- (ii) ये विनियम 1 अगस्त 2012 से लागू माने जायेंगे।@

### 2. विनियम 5 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) के बाद निम्नलिखित खंड (iii) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) इसके अलावा, उपर्युक्त उप-विनियम (1) के खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान का नागरिक है या पाकिस्तान में निगमित कंपनी, भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कर सकता है/कर सकती है।

बशर्ते यह कि उक्त अनुसूची 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों तथा विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों में संलग्न न हो अथवा संलग्न नहीं होगी।"

### 3. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी), के पैराग्राफ 1 के मौजूदा उप-पैराग्राफ 1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

4867 4/12-2

"1. (1) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में वर्णित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत दी गयी सीमा तक खरीद सकता है।"

[सं. फेमा 244/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :—(i) @** यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये उपबंध औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2012 के प्रेस नोट सं. 3 (2012 सीरीज) के जरिए अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जीएस.आर.सं.406(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए थे :-

- 02.03.2001 के जी.एस.आर.सं.158(ई),
- 13.03.2001 के जी.एस.आर.सं.175(ई),
- 14.03.2001 के जी.एस.आर.सं.182(ई),
- 02.01.2002 के जी.एस.आर.सं.4(ई),
- 19.08.2002 के जी.एस.आर.सं.574(ई),
- 18.03.2003 के जी.एस.आर.सं.223(ई),
- 18.03.2003 के जी.एस.आर.सं.225(ई),
- 22.07.2003 के जी.एस.आर.सं.558(ई),
- 23.10.2003 के जी.एस.आर.सं.835(ई),
- 22.11.2003 के जी.एस.आर.सं.899(ई),
- 07.01.2004 के जी.एस.आर.सं.12(ई),
- 23.04.2004 के जी.एस.आर.सं.278(ई),
- 16.07.2004 के जी.एस.आर.सं.454(ई),
- 21.09.2004 के जी.एस.आर.सं.625(ई),
- 08.12.2004 के जी.एस.आर.सं.799(ई),
- 01.04.2005 के जी.एस.आर.सं.201(ई),
- 01.04.2005 के जी.एस.आर.सं.202(ई),
- 25.07.2005 के जी.एस.आर.सं.504(ई),
- 25.07.2005 के जी.एस.आर.सं.505(ई),
- 29.07.2005 के जी.एस.आर.सं.513(ई),
- 22.12.2005 के जी.एस.आर.सं.738(ई),
- 19.01.2006 के जी.एस.आर.सं.29(ई),

11.07.2006 के जी.एस.आर.सं.413(ई),  
 14.11.2007 के जी.एस.आर.सं.712(ई),  
 14.11.2007 के जी.एस.आर.सं.713(ई),  
 29.11.2007 के जी.एस.आर.सं.737(ई),  
 05.08.2008 के जी.एस.आर.सं.575(ई),  
 30.12.2008 के जी.एस.आर.सं.896(ई),  
 01.12.2009 के जी.एस.आर.सं.851(ई),  
 21.04.2010 के जी.एस.आर.सं.341(ई),  
 03.08.2010 के जी.एस.आर.सं.606(ई),  
 03.08.2012 के जी.एस.आर.सं.606(ई)  
 30.10.2012 के जी.एस.आर.सं.796(ई),  
 30.10.2012 के जी.एस.आर.सं.797(ई),  
 .....के जी.एस.आर. सं. ....(ई), और  
 30.10.2012 के जी.एस.आर.सं.795(ई).

### NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd October, 2012

#### **Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Seventh Amendment) Regulations, 2012**

**G.S.R. 946(E).** —In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000), namely :—

#### **1. Short Title & Commencement**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2012.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the 1st day of August 2012. @

#### **2. Amendment of Regulation 5**

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA.20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000), in regulation 5, in sub-regulation (1), after clause (ii), the following new clause (iii) shall be added, namely:-

“(iii) Further, notwithstanding anything contained in clause (i) of the sub-regulation (1) above, a person who is a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan may, with the prior approval of the Foreign Investment Promotion Board of the Government of India, purchase shares and convertible debentures of an Indian company under Foreign Direct Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 1.

Provided further that notwithstanding anything contained in Schedule 1, the Indian company, receiving such foreign direct investment, is not engaged or shall not engage in sectors / activities pertaining to defence, space and atomic energy and sectors/ activities prohibited for foreign investment.”

### 3. Amendment to Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA.20/2000-RB dated 3rd May 2000), the existing sub-paragraph 1 of paragraph shall be substituted by the following, namely :-

“1.(1) A person resident outside India referred to in clauses (i), (ii) and (iii) of sub-regulation (1) of Regulation 5, may purchase shares or convertible debentures issued by an Indian company up to the extent and subject to the terms and conditions set out in this Schedule.”

[No. FEMA 244/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

**Foot Note :—**(i) @ It is certified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these regulations. These provisions have been notified by Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, *vide* Press Note No. 3 (2012 Series), dated August 01, 2012.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001

G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002

G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002

G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003

G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003



G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003  
 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003  
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003  
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004  
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004  
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004  
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004  
 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004  
 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005  
 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005  
 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005  
 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005  
 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005  
 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005  
 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006  
 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006  
 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007  
 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007  
 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007  
 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008  
 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008  
 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009  
 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010  
 G.S.R.No.606(E) dated 03.08.2012  
 G.S.R.No.796(E) dated 30.10.2012  
 G.S.R.No.797 dated 30.10.2012  
 G.S.R. No. .... (E) dated ..... and  
 G.S.R.No.795 dated 30.10.2012

### अधिसूचना

मुंबई, 22 नवम्बर, 2012

### विदेशी मुद्रा प्रबंध ( किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) ( चतुर्थ संशोधन ) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 947(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेंगे।
- (ii) प्रत्येक संशोधन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू माने जायेंगे।

#### 2. विनियम 6 में संशोधन :-

विनियम 6 में, उप-विनियम (2) में, खंड (i) में उप खंड (ई) के बाद "इन विनियमों

4867 4/12-3

में किसी बात के होते हुए भी, पाकिस्तान में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 7 सितंबर 2012 से लागू हैं;

"भारतीय पार्टियों द्वारा पाकिस्तान में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रस्तावों पर, उक्त अधिसूचना के विनियम 9 के अंतर्गत, अनुमोदन मार्ग के तहत अब से अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।"

### 3. विनियम 15 में संशोधन

(ए) विनियम 15 में, उप-विनियम 3 में, "भारतीय पार्टी द्वारा भारत से बाहर स्थापित अथवा अधिग्रहीत अपने प्रत्येक संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप देने के लिए मेजबान देश के संबंधित कानूनों में यथा विनिर्दिष्ट सांविधिक अवधि की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) समुद्रपारीय निवेश संबंधी फार्म के भाग III में और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य रिपोर्टें अथवा दस्तावेज अपने प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से, उल्लिखित अधिसूचना के विनियम 15 (iii) के अनुसार, रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी अपेक्षित है", शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 12 सितंबर 2012 से लागू हैं;

"भारत से बाहर स्थित प्रत्येक संयुक्त उद्यम (JV) अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के संबंध में फार्म ओडीआई के भाग III में एक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य रिपोर्टें या दस्तावेज प्रति वर्ष विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व या तक नामित प्राधिकृत व्यापारी के माफत रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लेखा-परीक्षित विगत (preceding) वार्षिक लेखों पर, जब तक रिज़र्व बैंक से विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, आधारित होनी चाहिए।"

(बी) विनियम 15 में, उप-विनियम 3 के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 15 मार्च 2011 से जोड़ा गया है;

"(iv) भारतीय कंपनियां, जिन्होंने इस अधिसूचना के उपबंधों के तहत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश किए हैं, फार्मेट में 'विदेशी देयताओं और संपत्तियों पर वार्षिक विवरणी' और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विशिष्ट तारीखों तक निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-9, 8वीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 को प्रस्तुत करेंगी।"

#### 4. समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश फार्म के भाग I में संशोधन

5 सितंबर 2008 की अधिसूचना संख्या फेमा 180/आरबी-2008 द्वारा यथा अधिसूचित समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश फार्म के भाग I के अंतर्गत खंड ई और खंड एफ को इस संशोधनकारी अधिसूचना के संलग्नक 1 के अनुसार संशोधित खंड ई और खंड एफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इसे 21 अगस्त 2012 से लागू किया गया है।

[सं. फेमा 249/आरबी-2012]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i) प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ii) मूल विनियमावली 19 नवंबर 2004 को जीएस.आर.सं.757 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

- 7 अप्रैल 2005 के जी.एस.आर.सं.220 (ई),
- 27 मई 2005 के जी.एस.आर.सं.337 (ई),
- 31 अगस्त 2005 के जी.एस.आर.सं.552 (ई),
- 6 सितंबर 2006 के जी.एस.आर.सं.535 (ई),
- 5 जनवरी 2008 के जी.एस.आर.सं.13 (ई),
- 25 मार्च 2008 के जी.एस.आर.सं.209 (ई),
- 24 सितंबर 2008 के जी.एस.आर.सं.676 (ई),
- 31 अक्टूबर 2008 के जी.एस.आर.सं.756 (ई),
- 20 फरवरी 2009 के जी.एस.आर.सं.108 (ई),
- 1 मई 2009 के जी.एस.आर.सं.301 (ई),
- 23 जून 2009 के जी.एस.आर.सं.441 (ई),
- 28 अगस्त 2009 के जी.एस.आर.सं. 609 (ई),
- 3 अगस्त 2012 के जी.एस.आर.सं. 607 (ई),
- 3 अगस्त 2012 के जी.एस.आर.सं. 609 (ई) तथा
- दि. के जी.एस.आर.सं. ।

**संलग्नक 1****फार्म ओडीआई भाग I - संशोधित खंड ई और एफ****खंड ई (संशोधित): भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा**

I (ए) क्या आवेदक पार्टी (पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन/ अधिनिर्णय की वर्तमान स्थिति/ मामले के निपटान के ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

(बी) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी (पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्यों की वसूली न होने की वजह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है/हैं अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी (पार्टियों) की स्थिति:

(सी) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/ अधिगृहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य सूचना।

(डी) जहाँ कहीं लागू है सभी मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 15 (iii) की अपेक्षानुसार प्रस्तुत की गयी है।

में/ हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

		----- (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) <b>मुहर/मुद्रा(सील)</b>
स्थान :-----		
दिनांक: -----		
नाम :-----		

पदनाम :-----	
1.	4.
2.	5.
3.	6.

**खण्ड एफ (संशोधित): भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि (-----) भारतीय पार्टी ने रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 {विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004} में निहित शर्तों का अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) निवेश स्थावर संपदा उन्मुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और
- (ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/शेयरों का स्वैप/बाह्य वाणिज्यिक उधार से निवेश/स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के विप्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के भीतर है। इसकी, अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् . . . . .को (-----) भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है।
- (iii) निवेश के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।
- (iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों# का अनुपालन किया गया है।
- (v) भारतीय पार्टी ने (ए) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (बी) संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (सी) भारत में उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (डी) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।\*

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ कहीं लागू है सभी मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट उक्त अधिसूचना के विनियम 15 (iii) की अपेक्षानुसार भारतीय पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

4867 9 12-4

टिप्पणी : \*केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदाहरण बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)  
# बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)  
फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

## NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd November, 2012

### Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Fourth Amendment) Regulations, 2012

**G.S.R. 947(E).** —In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security ) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004, dated July 7, 2004), as amended from time to time (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification), namely :—

#### 1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Fourth Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) Each amendment shall be deemed to have come into force from the dates specified in these Regulations.

#### 2. Amendment to Regulation 6

In Regulation 6, in sub-regulation (2), in clause (i), after sub-clause(e), for the words "Notwithstanding anything contained in these Regulations, investment in Pakistan shall not be permitted.", the following shall be substituted and the same shall be deemed to have come into effect from September 7, 2012:

"Overseas direct investment by an Indian Party in Pakistan shall henceforth be considered under the approval route under Regulation 9 of this Notification."

#### 3. Amendment to Regulation 15

- (a) In Regulation 15, in sub-regulation (iii), for the words, "submit to the Reserve Bank through the Authorised Dealer every year within 60 days from

the date of expiry of the statutory period as specified by the respective laws of the host country for finalization of the audited accounts of the Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India or such further period as may be allowed by Reserve Bank, an Annual Performance Report in Form ODI Part III in respect of each Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India set up or acquired by the Indian Party and other reports or documents as may be specified by the Reserve Bank from time to time.”, the following shall be substituted and the same shall be deemed to have substituted from September 12, 2012:

“submit to the Reserve Bank, through the designated Authorised Dealer, every year on or before a specified date, an Annual Performance Report (APR) in Part III of Form ODI in respect of each JV or WOS outside India, and other reports or documents as may be prescribed by the Reserve Bank from time to time. The APR, so required to be submitted, has to be based on the audited annual accounts of the JV / WOS for the preceding year, unless specifically exempted by the Reserve Bank.”

(b) In Regulation 15, after the sub-regulation (iii), the following shall be added and the same shall be deemed to have been added with effect from March 15, 2011:

“(iv) Indian companies, which have made overseas direct investments under the provisions of this Notification, shall submit an ‘Annual Return on Foreign Liabilities and Assets’ in the format and by a specified dates prescribed by the Reserve Bank from time to time, to the Director, Balance of Payment Statistics Division, Department of Statistics and Information Management (DSIM), Reserve Bank of India, C-9, 8th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.”

#### 4. Amendment to Part I of Form ODI

The Section ‘E’ and Section ‘F’ under Part I of the Form ODI, as notified vide Notification No. FEMA.180/RB-2008 dated September 5, 2008, shall be substituted with the revised Section ‘E’ and Section ‘F’ as per the Annexure I

4867 4/12-5

of this amendment Notification and this substitution shall be deemed to have come into effect from August 21, 2012.

[No. FEMA 249/RB-2012]

RUDRANARAYAN KAR, Chief General Manager

**Foot Note :** (i) Certified that no person shall be adversely affected by the retrospective effect given to such regulations.

ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No 757 (E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide :-

G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005,

G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005,

G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005,

G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006,

G.S.R. No.13 (E) dated January 5, 2008,

G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,

G.S.R. No.676 (E) dated September 24, 2008,

G.S.R. No.756 (E) dated September 31, 2008,

G.S.R. No.108 (E) dated February 20, 2009,

G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,

G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,

G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,

G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,

G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012 and

G.S.R. No. .... (E) dated .....



**Annexure I****Form ODI Part I – Revised Section 'E' and 'F'****Section E (Revised) : Declaration by the Indian Party**

(a) Whether the applicant party (ies), its promoters, directors, etc., are under investigations by any investigative/enforcement agency or regulatory body. If yes, the brief details thereof, including present stage of investigation/ adjudication / manner of disposal of the case.

---



---

(b) Whether the promoter Indian party (ies) is (are) presently on Exporters' Caution List of Reserve Bank for non-realization of export proceeds or on the list of defaulters to the Banking System circulated by Reserve Bank. If so, status of the Indian party (ies):

---



---

(c) Any other information relevant to this proposal, including any special benefits / incentives available in the host country for setting up / acquiring the proposed concern.

---



---

(d) Wherever applicable, the Annual Performance Report, as required in terms of Regulation 15(iii) of the Notification No. FEMA 120 / RB - 2004 dated July 07, 2004, as amended from time to time, in respect of all the existing JV / WOS of the Indian party has been submitted.

I/ We hereby certify that the information furnished above are true and correct.

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Signature of authorised official)

Date : \_\_\_\_\_

**Stamp/Seal**

Name:-----

Designation-----

List of enclosures:

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

**Section F (Revised) : Certificate by the Statutory Auditors of the Indian Party**

It is certified that the terms and conditions contained in Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004, as amended from time to time (Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004) have been complied with by the Indian party (Name of the Indian Party) in respect of the investment under report. In particular, it is certified that:

- (i) the investment is not in real estate oriented or banking business, and
- (ii) the amount of foreign exchange proposed to be purchased for remittance towards the investment together with remittances for all overseas investments already made and exports and other dues capitalized / swap of shares / investment from ECB / FCCB balances for investment abroad under the Automatic Route is within the limit stipulated by the Reserve Bank from time to time. This has been verified with reference to the net worth of the Indian party (Name of the Indian Party) as on the date of last audited balance sheet, i. e.-----  
(date)
- (iii) has complied with the valuation norms prescribed for the investment
- (iv) has complied with the ECB guidelines #
- (v) that the Indian party (a) has made net profits during the preceding three years, (b) has fulfilled the prudential norms of capital adequacy as prescribed by the regulatory authority concerned; (c) has been registered with the appropriate regulatory authority in India and (d) has obtained approval for the investment in financial services sector activities from the regulatory authorities concerned in India and abroad\*.

Further, certified that, wherever applicable, the Annual Performance Report, as required in terms of Regulation 15(iii) of the Notification *ibid*, in respect of all the existing JV / WOS of the Indian party has been submitted.

Note: \*Applicable only in cases where the investment is in the financial services sector (e.g. insurance, mutual fund, asset management, etc.).

# Applicable where investment is funded through ECB/FCCB balances.

**(Signature of the Statutory Auditors of the Indian Party)  
Name of the firm, Stamp and Registration number**